

डा० के०के० पाल
राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
डै०न०य० उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-

— / जी०ए०स० / शिक्षा / C15-2 / 2018

दिनांक : १५ अगस्त, 2018

आदेश

एतदद्वारा, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या-७१२ / जी०ए०स० / शिक्षा / C15-2 / 2018, दिनांक २३ मई २०१८ को अतिक्रमित करते हुये हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-२०१४ की धारा-१० की उपधारा-(५) व (६) के प्राविधानों के अधीन डॉ० हेम चन्द्र, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मेडीकल सुपरिटेन्डेन्ट, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस, लखनऊ (उ०प्र०) को कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से आगामी ३ वर्ष अथवा ६५ वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।


— ५१ —

डा० के० के० पाल
कुलाधिपति।

संख्या १९४८ (१) / जी०ए०स० / शिक्षा / C15-2 / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
२. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
३. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
४. डॉ० हेम चन्द्र, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मेडीकल सुपरिटेन्डेन्ट, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस, लखनऊ (उ०प्र०)।
५. निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस, लखनऊ (उ०प्र०)।
६. एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रार, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंस, लखनऊ (उ०प्र०)।
७. प्रोफे० एच०ए०स० धामी, कुलपति, उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।
८. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
९. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।


आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।